देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित www.page3news.in नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 248 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

रविवासरीय...सोनाली को आती है याद

देहरादून, रविवार, 10 नवंबर 2019

पेज थ्री

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 27.0° न्यूनतम 13.0°

40323.61

2 नवाज इलाज कराने के लिए लंदन जाएंगे

7 पंत जो करना चाहता है करने दीजिए

अयोध्या में बनेगा राम मंदिर

विवादित भूमि रामलला को, सुन्नी पक्ष को कहीं और जमीन

■ईज ऑफ डुइंग बिजनस के साथ ईज ऑफ लिविंग बेहतर बनाने पर भी जोर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। 70 साल तक चली कानूनी लड़ाई, 40 दिन तक लगातार मैराथन सुनवाई के बाद आज अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति यानी 5–0 से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही पक्षकार माना। टॉप कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित जमीन को तीन पक्षों में बांटने के फैसले को अतार्किक करार दिया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने साथ में यह भी आदेश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व देने को कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि हर मजहब के लोगों को संविधान में बराबर का सम्मान दिया गया है।

रामजन्मभूमि न्यास को मिलेगी विवादित जमीन

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन का हक रामजन्मभूमि न्यास को देने का आदेश सुनाया है।

मुस्लिम पक्ष को मिलेगी 5 एकड़ जमीन

सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए। मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी।

जमीन पर दावा साबित करने में मुस्लिम पक्ष नाकामः सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि मुस्लिम पक्ष अपना दावा साबित करने में नाकाम रहा है। विवादित स्थल पर मस्जिद होने के प्रमाण भी नहीं मिले।

फैसले से संतुष्ट नहीं मुस्लिम पक्षः सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले में कई विरोधाभास नजर आ रहे हैं। इसलिए हम फैसले से संतुष्ट नहीं है। हम फैसले का मूल्यांकन करेंगे और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे।

मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के अंदर बने ट्रस्ट

मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के निर्माण का आदेश सीजेआइ ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार तीन महीने में स्कीम लाए और ट्रस्ट बनाए। यही ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करेगा और इसकी निगरानी भी रखेगा।

मुख्य ढांचा इस्लामी संरचना नहीं: सुको ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि, मुख्य ढांचा इस्लामी संरचना नहीं थी। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संदेह से परे है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की याचिकाएं खारिजः सुको ने शिया वक्फ बोर्ड की सिंगल लीव पिटिशन को खारिज कर दिया। वहीं देरी से याचिका करने पर निर्मोही अखाड़ा के दावे को भी खारिज कर दिया।

भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआः सुको ने कहा कि हिंदुओं की आस्था और विश्वास है कि भगवान राम का जन्म गुंबद के नीचे हुआ था। यह व्यक्तिगत विश्वास का विषय है।

1949 में रखी गईं मूर्तियांः मुसलमानों ने मस्जिद नहीं छोड़ी थी। हालांकि, हिंदू भी राम चबूतरा पर पूजा करते थे। उन्होंने गर्भगृह पर भी स्वामित्व का दावा किया। सीजेआई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि 1949 में मूर्तियां रखी गईं।

हाई कोर्ट का फैसला तार्किक नहीं: सुको: हाई कोर्ट ने जो तीन पक्ष माने थे, उसे दो हिस्सों में मानना होगा। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा जमीन को तीन हिस्सों में बांटना तार्किक नहीं था। इससे साफ हो गया कि मामले में अब रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड दो पक्ष ही रह गए।

हमें 5 एकड़ जमीन का ऑफर मंजूर नहीं: असदुद्दीन ओवैसी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) हैदराबाद। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने असहमति जताई है। फैसले को लेकर ओवैसी ने कहा कि मेरी निजी राय है कि हमें मस्जिद के लिए 5 एकड़ की जमीन के ऑफर को खारिज कर देना चाहिए। अपने तीखे बयानों के लिए चर्चित ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, लेकिन इनफिलेबल यानी अचूक नहीं है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि मेरा सवाल है कि यदि 6 दिसंबर, 1992 को मस्जिद न ढहाई जाती तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला होता। ओवैसी ने बेहद तीखा बयान देते हुए कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं।

आज का दिन ऐतिहासिक, अब देश निर्माण की बारी

अयोध्या पर फैसले के बाद पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है, जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। कुछ लोगों की इच्छा था कि रोजाना सुनवाई हो, वैसा हुआ। आज फैसला आया है। दशकों चली न्याय प्रक्रिया का समापन हुआ है। अब हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अब देश के हर नागरिक पर देश निर्माण का दायित्व बढ़ गया है।

पीएम ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज के दिन ही बर्लिन की दीवार गिराकर दो विचारधाराएं एक रास्ते पर आ गई थीं। उन्होंने साथ ही कहा कि आज ही के दिन करतारपुर कॉरिडोर का भी उद्घाटन हुआ। पीएम ने देश के लोगों से कहा अब हर नागरिक पर न्यू इंडिया के निर्माण की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

जय-पराजय की दृष्टि से न देखें यह फैसलाः भागवत

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस निर्णय को जय–पराजय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।

मस्जिद बनाने में भी मदद करें हिंदू भाई: रामदेवः रामदेव ने अपील करते हुए कहा है कि हिंदुओं को भी मुस्लिमों के लिए बनने वाली मस्जिद के निर्माण में मदद करनी चाहिए।

यह पूर्णता का क्षण है, आंदोलन से जुड़ना सौभाग्यपूर्ण: आडवाणी

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहद खुशी जाहिर की है।

कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैः राहुल गांधी

वहीं इस ऐतिहासिक फैसले पर विपक्षी दलों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सब को आपसी सद्भाव बनाए रखना है। ये वक्त हम सभी भारतीयों के बीच बन्धुत्व,विश्वास और प्रेम का है।

संक्षिप्त समाचार

ओडिशा में भारी बारिश और तूफान के चलते पेड़ उखड़े, सड़क संपर्क टूटा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) भुवनेश्वर। शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बुलबुल ने ओडिशा के तट पर स्थित भद्रक जिले में दस्तक दे दी है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं और सड़क संपर्क टूट गया है।

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, कई घायल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को शहर के टैंक बंड के पास एक विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आयोजन की इजाजत नहीं दी थी। टीएसआरटीसी कर्मचारियों द्वारा बुलाए गए मार्च आह्वान के दौरान पुलिस अधिकारियों सहित कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं। इस विरोध प्रदर्शन को तेलंगाना के विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है।

इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

गुरदासपुर। पीएम नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर के भारतीय हिस्से का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे दुनिया भर के सिख समाज के लोगों को गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान के दर्शन की सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर पंजाब सरकार, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के अलावा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भी धन्यवाद दिया। नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व से पहले करतारपुर कॉरिडोर शुरू होना हमारे लिए दोहरी खुशी लेकर आया है।

पीएम मोदी ने कहा कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद अब गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन आसान हो जाएंगे। मैं पंजाब सरकार, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी और कॉरिडोर को बनाने वाले हर श्रमिक साथी का आभार व्यक्ति करता हूं। इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मसले पर भारत की भावनाओं को समझा और उसके मुताबिक कार्य किया।

करतारपुर कॉरिडोर

पीएम मोदी ने पाक के पीएम इमरान को भी दिया धन्यवाद

आर्टिकल 370 हटने से सिखों को मिली सहूलियत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू–कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर कहा कि इससे भी सिख समाज को बहुत सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कि 370 हटने से अब सिख परिवारों को जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में भी वह अधिकार मिल पाएंगे, जो पूरे देश में उन्हें मिलते थे।

मनमोहन सिंह व कैप्टन बोले- उम्मीद है यह शांति का करिडोर बनेगा

करतारपुर। भारत के सिख तीर्थयात्रियों का पहला जत्था करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान गया। यात्रा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि यह कॉरिडोर शांति का कॉरिडोर बनेगा। यह दोनों देशों की एक अच्छी शुरुआत है। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है। भारत–पाक के बीच कई मुद्दे हैं। कहा कि उन्हें उन्हें उम्मीद है कि यह कॉरिडोर हमारे संबंध को सामान्य बनाने के लिए एक अच्छी शुरुआत साबित होगा।

अयोध्या फैसले का यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया स्वागत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

लखनऊ। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद के पक्षकार रहे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि वह इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और बोर्ड का इस फैसले को चुनौती देने का कोई विचार नहीं है।

फारूकी ने कहा कि 5 एकड़ जमीन लेने को लेकर बोर्ड के मेंबर के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development

All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding

1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation

A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:

Gadoli Media Ventures

Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930

E-Mail: contact@gadoli.in